

(14)

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. विविध ..... II / 2017 जिला भिण्ड

वित्ती १०७६ म १७

प्राप्ति - दो बारी अंतर  
द्वारा आज दि. १८-०५-१७ को  
प्रस्तुत  
*वित्ती कोटि कोटि १८-०५-१७*  
राजस्व मण्डल मध्य ग्वालियर

O.P. Sharma Adr.  
18-05-2017

1. रघुवीर सिंह पुत्र देवी सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र देवी सिंह
3. बदन सिंह पुत्र देवी सिंह
4. झींगुरी सिंह पुत्र देवी सिंह  
समस्त निवासीगण ग्राम कांच की मड़ैया तहसील-  
रौन, जिला- भिण्ड

— आवेदकगण

विरुद्ध

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामचरण सिंह
2. वृजेन्द्र सिंह पुत्र रामचरण सिंह
3. मु.स. सूरज कुँआर बेवा रामचरण सिंह  
निवासीगण ग्राम मानगढ़, तह. रौन, जिला – भिण्ड
4. महिला बेटकली पुत्री रामचरण सिंह पत्नी रन सिंह,  
निवासी ग्राम खेरिया सिन्ध, तह. मेहगांव, जिला भिण्ड
5. महिला बिटोली पुत्री रामचरण सिंह पत्नी सरनाम सिंह,  
निवासी ग्राम महेशपुरा जिला जालौन (उ.प्र.)
6. महिला ब्रह्मा पुत्री रामचरण सिंह पत्नी बरनाम सिंह,  
निवासी मेहरा बुजुर्ग तह. मेहगांव, जिला भिण्ड

— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 43 एवं 32 रे. को. सहपठित धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया सहिता

मान्यवर महोदय,

अनावेदकगण की ओर प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, माननीय सदस्य श्री एम. के. सिंह राजस्व मण्डल म. प्र. के प्रकरण क्रमांक R-1219-PR/2004 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 को समस्त अनावेदकगणों का नाम उपरोक्त आदेश में नहीं आ पाया। इस कारण समस्त अनावेदकगणों के नाम क्रमशः राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचरण सिंह, वृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचरण सिंह, मु.स. सूरज कुँआर बेवा रामचरण सिंह, निवासी ग्राम मानगढ़, महिला बेटकली पुत्री श्री रामचरण सिंह पत्नी रन सिंह ग्राम खेरिया सिन्ध, महिला बिटोली पुत्री श्री रामचरण सिंह पत्नी सरनाम सिंह निवासी महेशपुरा, जिला जालौन, महिला ब्रह्मा पुत्री श्री रामचरण सिंह पत्नी बरनाम सिंह निवासी मेहरा बुजुर्ग संशोधित आदेश प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र निमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अनावेदकगणों की ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 में सभी अनावेदकगणों को शामिल कर संशोधित आदेश पारित किये जाने की कृपा की जावे।

राजेन्द्र सिंह पुत्र रामचरण सिंह आदि निवासी- ग्राम मानगढ़, तह. रौन, जिला भिण्ड

— अनावेदकगण

दिनांक :— 18.04.2017  
स्थान :— ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक  
ओ. पी. शर्मा  
जिला ग्वालियर

18/4/17


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9076—दो/17

जिला—भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-05-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ० पी० शर्मा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 43 एवं 32 रे० को० सहपठित धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 1219—अध्यक्ष/04 में पारित आदेश दिनांक 17. 10.16 किया गया है जिसमें अनावेदकगण क्रमांक—1 एवं 3 का नाम छूट गया है जिन्हे आदेश में जोड़ने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2—मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया एवं मूल प्रकरण क्रमांक 1219—अध्यक्ष/04 में पारित आदेश दिनांक 17.10.16 के प्रकरण का अध्ययन किया जिसमें मैं न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.15 को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 3 का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया है। अतः आवेदक अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण दा० द० हो।</p>   <p>सदस्य</p>	